न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 118/23
जीसीएमएस संख्याः 2023/194 निर्णय दिनांकः– 21-04-2025

1. सुमेरसिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति राजपूत निवासी चारणवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. गोपालाराम पुत्र रेवन्तराम जाति सुनार निवासी बरसिंहसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 16–11–2022
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 16–11–2022 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट् के धारण एवं नियमन की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चारणवाला में 20 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्ती पुश्तैनी गैर खातेदारी भूमि कब्जे काश्त की रही है उक्त भूमि चक 35 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 107/59 के किला नम्बर 1 ता 19 में 19 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। जिस पर अपीलांट् आज दिनांक तक निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21(ए) के तहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के समक्ष वर्ष 2009 से कई बार आरजी जैर के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर के बावजूद भी आज दिनांक तक उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि आज दिनांक तक अपीलांट् के कब्जे काश्त की भूमि रही होने से आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बाला–बाला की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि वादगत् भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड भूमि थी तथा आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन से पूर्व संबंधित पटवारी से मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि तत्समय मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो प्रकरण में यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आराजी जैर पर पूर्वजों के समय से निन्तर कब्जे काश्त के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट को उक्त रकबा गैर कानूनी रूप सें आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही कोई नोटिस अथवा सुनवाई का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई अवसर प्रदान किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये बिना, व इस तथ्य पर कतई गौर किये बिना कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को पूर्व में आवंटित भूमि की खातेदारी दिनांक 21–04–2002 को प्राप्त हो चुकी थी, उसके 20 वर्ष के पश्चात् कमीपूर्ति में अन्यत्र भूमि जोकि पूर्व में आवंटित भूमि से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के आवंटन के प्रार्थना पत्र पर रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुँचाने की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। धारा 96 सीपीसी पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने कथन किया कि आराजी जैर बन्दोबस्ती पुश्तैनी गैर खातेदारी भूमि है। जिसके नियमन का प्रार्थना पत्र वर्ष 2009 से निरन्तर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से हितबद्व पक्षकार होने से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2024 पार्ट I पेज 10, आरआरटी 2024 पार्ट II पेज1263, आरआरडी 2014 पेज 476, आरआरटी 2012 पेज 717, आरआरडी 2002 पेज 100, आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट II पेज 1164 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से उन्हें किसी प्रकार का नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट् द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में कारण अंकित किये गये है, वह संतोषजनक कारण नहीं होने से अपीलांट् की अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नहीं है। आराजी जैर से अपीलांट् किस प्रकार से हितबद्धता रखते है, को साबित करने में अपीलांट् पूर्णतया असफल रहे है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट् धारा 96 सीपीसी पर किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट् का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर कमीपूर्ति में अपनी पात्रता के अनुसार शेष भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर यह पाये जाने पर कि अपीलांट् को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ द्वारा दिनांक 24—03—2003 को अपीलांट् को आवंटन सलाहकार समिति की राय से 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन का पात्र घोषित किया गया था, परन्तु रेस्पोडेन्ट को पात्रता से 20 बीघा अनकमाण्ड अथवा 10 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन कम किये जाने से शेष रही भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13 (5) (ध) के तहत चक 35 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 107/59 के किला नम्बर 11 ता 17 में 7 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 18 व 19 में 2 बीघा अनकमाण्ड कुल 9 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 8—9 एनएसएम के मुरब्बा नम्बर 170/61 के किला नम्बर 1 में 1 बीघा अनकमाण्ड, किला नम्बर 2 ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4 में 3 बीघा कमाण्ड कुल 4 बीघा कमण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 13 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन विधि सम्मत् तरीके से किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया उक्त तिथि को वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज थी तथा आराजीराज होने पर ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। अपीलांट द्वारा अपील दुर्भावना पूर्वक प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन के पश्चात् नियमानुसार तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम रिकार्ड में अंकन हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस प्राप्त नहीं है। वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियामनुसार आवंटन नियमों की पालना करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—11—2022 के विरूद्व अपील दिनांक 06—07—2023 को पेश की गई है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीलांट् की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील विवादित आराजी चक 35 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 107/59 के किला नम्बर 11 ता 17 में 7 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 18 व 19 में 2 बीघा अनकमाण्ड कुल 9 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 8—9 एनएसएम के मुरब्बा नम्बर 170/61 के किला नम्बर 1 में 1 बीघा अनकमाण्ड, किला नम्बर 2 ता 4 में 3 बीघा कमाण्ड कुल 4 बीघा कमण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 13 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि आराजी जैर ग्राम चारणवाला में 20 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्ती के समय से पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि चली आ रही है। जिसके नियमन का प्रार्थना पत्र वर्ष 2009 से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार रहा है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होने व आराजी जैर अपीलांट् के कब्जे काश्त की भूमि होने से रेस्पोडेन्ट् के आवंटन को खारिज किया जावे।

इस संबंध में हमने अपीलांट् द्वारा अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील का मुख्य आधार नियमन प्रार्थना पत्र का लम्बित होना माना है परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य (नियमन प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) उपलब्ध नहीं है जिससे इस तथ्य की निश्चयात्मक पुष्टि हो सके कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट का नियमन प्रार्थना पत्र लम्बित था। इस सूरत में अपीलांट स्वयं को व्यथित पक्षकार साबित करने में विफल रहे है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (27) 2020 पेज 569 में भी यह अभिनिर्धारित किया है कि **" When appellants have failed to demonstrate that they are prejudicially affected by the decree in question or any of their legal rights stands jeopardizes so as to bring them within the ambit or the expression person aggrieved entitling them to maintain appeal against the decree- As the appellants are not the aggrieved person there fore their application for filling appeal was rightly dismissed."** प्रकरण में अपीलांट् द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली के साथ आराजी जैर पर हितबद्धता के संबंध में एक प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है, जोकि एसीसी साहब बीकानेर को संबोधित करते हुए लिखा गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया है, तथा उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस दिनांक को आगामी कार्यवाही हेतु स्वीकार किया गया है, उक्त आशय का अंकन प्रार्थना पत्र पर कहीं अंकित नहीं है नाही किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र को दर्ज किये जाने हेतु किसी सक्षम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर ही अंकित है। इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना प पत्रावली के साथ संलग्न किया गया है, जोकि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रस्तुत किया जाना उल्लेखित है, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र भी किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया है, व उक्त प्रार्थना पत्र भी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु हस्ताक्षरित नहीं होना पाया जाता है। अपीलांट् की उपरोक्त कार्यवाहियों से यह इंगित होता है कि उनके द्वारा मात्र अपील पेश करने की नियत मात्र से तमाम दस्तावेजी कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा आराजी जैर पर अपने कब्जे काश्त के संबंध में पत्रावली के साथ राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन जारी एक नोटिस की अप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त नोटिस अपीलांट् के पिता के नाम बतौर अतिक्रमी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रमाणित नोटिस की छायाप्रति को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है यदि उक्त साक्ष्य को मान भी लिया जाये तो भी बतौर अतिक्रमी अपीलांट् को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि अपीलांट् द्वारा अपील के माध्यम से ग्राम चारणवाला में 20 बीघा भूमि पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि होना अंकित किया गया है, परन्तु उक्त भूमि के वर्तमान में चक 35 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 107/59 व चक 8-9 एनएसएम पैमूद हुए है, का कोई प्रमाण यथा मिलान क्षेत्रफल अथवा सूची नम्बर चार पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे यह जाहिर हो सके कि अपीलांट् रेस्पोडेन्ट् को आवंटित भूमि पर काबिज काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से अपनी हितबद्धता साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन का प्रश्न है, अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ द्वारा पूर्व में दिनांक 24–03–2003 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन का पात्र घोषित किये जाने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट को उसकी पात्रता से 20 बीघा अनकमाण्ड अथवा 10 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन कम किये जाने से शेष रही भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13 (5) (ध) के तहत चक 35 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 107/59 के किला नम्बर 11 ता 17 में 7 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 18 व 19 में 2 बीघा अनकमाण्ड कुल 9 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 8–9 एनएसएम के मुरब्बा नम्बर 170/61 के किला नम्बर 1 में 1 बीघा अनकमाण्ड, किला नम्बर 2 ता 4 में 3 बीघा कमाण्ड कुल 4 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 13 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन वादगत् भूमि मौके पर खाली होने व अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् ही अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए अपने अधिकार भी हासिल कर लिये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–11–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 21-04-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर